हुक्म की तारीख / हुक्म	हुक्म	हुक्म की तामील में जारी हुए
7/11/25	वास्ते पेश 23/12/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
1/12/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... कार्य स्थगित रखा / P.O. ... / अवकाश ... पत्रावली मीटिंग / ... दिनांक 19/1/26 वास्ते ... को पेश हो। [signature]	
19/1/26	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... कार्य स्थगित रखा / P.O. ... / अवकाश में। पत्रावली मीटिंग / ... दिनांक 18/2/26 वास्ते ... को पेश हो। [signature]	
18/2/26	वास्ते [illegible] 23/2/26 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
23/2/26	पत्रा. पेश। वास्ते आदेश 27/3/26 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
27/3/26	पत्रा पेश। यह वाद वादिनी मधुदेवी द्वारा RTAct की धारा 88, 89 व 188 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है जिसमे यह प्रार्थना की गई है कि वादिनी को खसरा संख्या 424/29 एवं 28 ग्राम धारूपुरा पटवार हल्का [signature] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	बड़ोदिया कला तहसील रामगंजमंडी में प्रतिवादी गजानंद के स्थान पर खातेदारी अधिकार घोषित किया जाए।
	संक्षेप में वादिनी का कथन है कि उसने पूर्व खसरा 15 एवं 16 में से गजानंद के 1/10 अंश का विधिवत पंजीकृत विक्रय पत्र विलेख द्वारा क्रय किया था। बाद में बंदोबस्त के दौरान खसरा संख्या 15 का नवीन क्रमांक 29 (रकबा 3.12 हेक्टेयर) हुआ तथा उसके विभाजन से खसरा संख्या 424/29 (रकबा 0.62 हेक्टेयर) निर्मित हुआ, जिसमें वर्तमान में गजानंद एवं रामलाल का 1/2-1/2 अंश दर्ज है। इसी प्रकार पूर्व खसरा संख्या 16 का नवीन क्रमांक 28 (रकबा 0.99 हेक्टेयर) हुआ, जिसमें गजानंद का 1/10 अंश दर्ज है।
Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	अभिलेखीय साक्ष्य, विक्रय विलेख तथा जमाबंदी प्रतिलिपि, से यह प्रमाणित होता है कि वादिनी द्वारा

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पूर्व खसरा सं 15 से क्रय किया गया 1/10 अंश पूर्णत: वर्तमान खसरा सं. 424/29 में ही समाहित हो गया है तथा उक्त क्रयित अंश का कोई भाग अन्य खसरों में शेष नहीं है। अत: वर्तमान खसरा सं. 424/29 में गजानंद का जो 1/2 अंश दर्ज है वह वस्तुत: वादिनी के क्रयित अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है।	
	इसी प्रकार पूर्व खसरा सं. 16 से संबंधित वादिनी का क्रयित अंश वर्तमान खसरा संख्या 28 में परिलक्षित है, जिसमें गजानंद का 1/10 अंश दर्ज है।	
	अत: न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि राजस्व अभिलेखों में वादिनी के अधिकार का समुचित परिलक्षण नहीं हुआ है, जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है।	
	आदेशित किया जाता है कि —	
	1. वादिनी मधुदेवी को खसरा संख्या 424/29 रकबा 0.62	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	हैक्टयर ग्राम धारूपुरा तहसील रामगंजमंडी में गजानंद के समस्त 1/2 अंश के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। 2. वादिनी मधुदेवी को खसरा सं. 28 रकबा 0.99 हैक्टयर ग्राम धारूपुरा तहसील रामगंजमंडी में गजानंद के 1/10 अंश के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। 3. TDR रामगंजमंडी को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन कर वादिनी का नाम उपर्युक्त अंशों में दर्ज किया जाए। निर्णय आज दिनांक 27/03/20 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	